-

2022 का विधेयक संख्यांक 161

[दि प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑफ विडोज एण्ड सिंगल विमेन एण्ड अबोलिशमेंट ऑफ विडोहुड प्रैक्टिसेज बिल, 2022 का हिंदी रूपांतर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण और विधवापन की प्रथा का उन्मूलन विधेयक, 2022

भारत में विधवाओं और एकल महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और विधवापन की प्रथा का उन्मूलन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण और विधवापन की प्रथा का उन्मूलन अधिनियम, 2022 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परित्यक्त विधवा" से ऐसी विधवा अभिप्रेत है जिसका उसके नातेदारों ने परित्याग कर दिया है या उसे असहाय अवस्था में घर से निकाल दिया है और जिसके पास अपने और अपने आश्रित बच्चों, यदि कोई है, के पोषण के लिए कोई साधन नहीं है;

(ख) "समुचित सरकार" से किसी राज्य की स्थिति में उस राज्य की सरकार और सभी अन्य स्थितियों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "विधवा" से कानूनी रूप से विवाहित ऐसी महिला अभिप्रेत है जिसके पति का देहांत हो चुका है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकार और विधवापन प्रथा का उन्मूलन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) किसी विधवा के संबंध में "व्यथित" से ऐसी कोई पीड़ित विधवा अभिप्रेत है जिसकी कोई देखभाल नहीं की जाती और जो वृद्धावस्था अथवा पुरानी अथवा असाध्य बीमारी, शारीरिक अपंगता अथवा मानसिक असंतुलन के कारण अशक्त हो गई है और जिसके पास अपने और अपने आश्रित बच्चों, यदि कोई हो, के लिए आजीविका का कोई अलग और पर्याप्त साधन नहीं है;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(छ) "एकल महिला" से ऐसी वयस्क स्त्री अभिप्रेत है, जो या तो तलाकशुदा है, अथवा अपने पति से विधिक रूप से अलग हो चुकी है, या उसे उसके पति द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है ।

विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकार और विधवापन प्रथा का उन्मूलन बोर्ड की स्थापना ।

3. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने से छह माह के भीतर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड की स्थापना करेगी जिसे विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकार और विधवापन प्रथा का उन्मूलन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा ।

(*2*) बोर्ड पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा जिसके पास जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

(*3*) बोर्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में होगा और बोर्ड अन्य सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे प्रमुख स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित करेगा, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त एवं आवश्यक समझे ।

बोर्ड की संरचना ।

4. (*1*) बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) एक पदेन अध्यक्ष, जो केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक उपाध्यक्ष, अधिमानत: एक विधवा अथवा एक एकल महिला जिसके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव हो, जो विहित की जाएं;

(ग) दस महिला सदस्य, जिनमें से पांच लोक सभा से एवं पांच राज्य सभा से होंगी, जिन्हें प्रत्येक सभा के संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन का कार्य देखने वाले दो अधिकारी, जो केन्द्रीय मंत्रालय में संयुक्त सचिव रैंक से नीचे न हों, की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी;

(ड.) राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से राज्यों की सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आठ से अनधिक सदस्य;

(च) विधवाओं और एकल महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों से तीन सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा; और

(छ) केन्द्रीय महिला और बाल विकास, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य।

(*2*) बोर्ड अपनी कार्य-सूची के निपटान के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा और इस रीति से बैठकें आयोजित करेगा जो विहित की जाएं।

(*3*) बोर्ड में एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रीति से नियुक्त किया जाएगा।

(*4*) उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

बोर्ड के कृत्य।

5. (*1*) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड व्यथित विधवाओं और एकल महिलाओं के पुनर्वास सहित विधवाओं और एकल महिलाओं जिन्हें ऐसे उपायों की जरूरत हो, के लिए सुरक्षात्मक और कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा जैसाकि वह उचित समझे।

(*2*) बोर्ड उपधारा (*1*) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना —

(क) देश भर में विधवाओं और एकल महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करेगा;

(ख) विधवाओं और एकल महिलाओं के ऐसे ब्यौरों सहित, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जिला-वार रजिस्टर रखेगा;

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक विधवा और एकल महिला की सहायता की जरूरत का आकलन करने के लिए पूर्ववृत्त का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संग्रह और सत्यापन करेगा;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली परित्यक्त, अन्-अंगीकृत या व्यथित विधवाओं और एकल महिलाओं के समग्र कल्याण और पुनर्वास के लिए योजनाएं और स्कीमें तैयार करेगा;

(ङ) बोर्ड द्वारा किए जा रहे कल्याण और पुनर्वास उपायों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विधवाएं और एकल महिलाएं उनका लाभ उठाने में सक्षम हो सकें;और

(च) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो उसे समय-समय पर सौंपे जाएं।

विधवाओं और एकल महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं।

6.(*1*) बोर्ड की सिफारिश पर अथवा अन्यथा, समुचित सरकार इस अधिनियम में शामिल विधवाओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी, अर्थात्:—

(क) यदि विधवा निराश्रित और अशक्त है अथवा उसके एक या एक से अधिक निराश्रित बच्चे हैं तो प्रति माह दस हजार रुपए की धनराशि अथवा यदि उसका कोई आश्रित बच्चा नहीं है तो

प्रतिमाह पांच हजार रूपए की राशि निर्वाह भत्ते के रूप में;

(ख) नि:शुल्क रिहायशी आवास, जहां कहीं आवश्यक हो;

(ग) विधवा के आश्रित बच्चों को तकनीकी शिक्षा सहित नि:शुल्क शिक्षा;

(घ) जहां भी संभव हो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् शारीरिक स्थिति के अनुसार लाभप्रद नियोजन;

(ङ) औषधियों सहित निःशुल्क चिकित्सा देखभाल और आवश्यकतानुसार अंतरंग एवं बहिरंग सुविधाएं;

(च) जहां आवश्यक हो, स्व-नियोजन जैसे पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता;

(छ) विधवा का अपने परिजनों द्वारा परित्याग कर दिए जाने की स्थिति में उन्हें दी जाने वाली नि:शुल्क विधिक सहायता; और

(ज) ऐसी अन्य सुविधाएं जो उनके पुनर्वास, कल्याण, उचित विकास, परिवार में खोए सम्मान की पुन:प्राप्ति तथा समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो:

परंतु यदि इस अधिनियम में शामिल किसी विधवा को लाभकारी नियोजन मिल जाए अथवा उसका पुनर्विवाह हो जाए, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं, जैसी स्थिति हो, उस विधवा के नियोजन या पुनर्विवाह की तारीख से वापस ले ली जाएंगी:

परंतु यह और कि यदि विधवा रूढ़ियों या अन्य परिस्थितियों के चलते अपने ससुराल वालों या माता-पिता के साथ रह रही है तो उसे इस आधार पर इस अधिनियम के अंतर्गत सुविधाएं देने से इंकार नहीं किया जाएगा।

(*2*) इस अधिनियम में शामिल विधवाओं को इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर समुचित सरकार द्वारा किए गए व्यय धारा 7 के अधीन स्थापित पुनर्वास और कल्याण निधि से चुकाए जाएंगे।

राष्ट्रीय व्यथित विधवा और एकल महिला पुनर्वास और कल्याण निधि की स्थापना।

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पचास हजार करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ एक निधि स्थापित करेगी जिसे राष्ट्रीय व्यथित विधवाएं एवं एकल महिला पुनर्वास और कल्याण निधि कहा जाएगा।

(*2*) बोर्ड द्वारा निधि का प्रशासन ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(*3*) उप-धारा (*1*) के अधीन स्थापित निधि में निम्नलिखित से सभी प्राप्तियां शामिल होंगी—

(क) केंद्रीय सरकार और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारें और उनके संस्थान तथा संगठन;

(ख) कॉर्पोरेट निकाय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों तथा बैंक और वित्तीय संस्थान घरेलू और विदेशी दोनों; तथा

(ग) किसी व्यक्ति, संघ और अन्य से योगदान या दान के रूप में।

संरक्षात्मक उपबंध।

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट या किसी भी प्रथा में प्रचलित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किसी भी विधवा या एकल महिला को,—

(क) ससुराल या माता-पिता, जैसा भी मामला हो, या जहां ऐसी विधवा या एकल महिला अंतिम बार निवास कर रही थी, के घर से निष्कासित या बाहर नहीं निकाला जाएगा;

(ख) अपने ससुराल या माता-पिता, जैसा भी मामला हो, से संपत्ति या संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति के अपने भाग को विरासत में पाने का अधिकार होगा; और

(ग) अपने ससुराल या संबंधियों अथवा स्वजनों, जिन्होंने विधवा या एकल महिला की उपेक्षा या परित्याग किया हो, जैसा भी मामला हो, से भरण-पोषण पाने का अधिकार होगा।

अतिरिक्त संरक्षात्मक उपबंध।

9. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट या किसी भी प्रथा में प्रचलित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम से आच्छादित किसी भी विधवा या एकल महिला को निम्नलिखित के अधीनकृत नहीं किया जाएगा,—

(क) उसके कुमकुम को पोंछना;

(ख) उसके मंगलसूत्र को छीनना;

(ग) चूड़ियाँ तोड़ने के लिए उसके हाथों को बलपूर्वक पीटना;

(घ) त्योहारों, विवाहों, या किसी भी नामकरण समारोह आदि में भाग लेने से प्रतिबंधित करना;

(ङ) रंगीन कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाना; और

(च) समाज द्वारा कोई अन्य ऐसे कृत्य जो विधवापन की प्रथाओं को अविरत रखते हों।

स्थानीय स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन।

10. (*1*) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रतिगामी विधवा प्रथा को अविरत नहीं रखा जा रहा , स्थानीय स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन करेगी।

(*2*) देश में उप-धारा (*1*) के अधीन गठित निगरानी समिति में पचास प्रतिशत महिला सदस्य होंगी, जिनमें से आधी विधवाएं और एकल महिलाएं होंगी,

(*3*) निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि विधवाओं और एकल महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और यदि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा हो तो उन्हें यथाविहित रीति से सहायता प्रदान की गई है।

जागरुकता संबंधी उपबंध।

11. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाए;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को सार्वजनिक क्षेत्रों में सुलभ तरीके से प्रसारित और प्रदर्शित किया जाए; तथा

(ग) विधवापन से जुड़े लांछन को कम करने के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां प्रदान किया जाना।

12. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

13. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (*1*) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सभाएं उस नियम में कोई परिवर्तन या उसे निष्प्रभावी करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(*3*) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत लगभग 42 मिलियन विधवाओं का घर है। इसके अतिरिक्त, 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत 2.3 मिलियन परित्यक्त या अलग हो चुकी महिलाओं का भी घर है। विशेष रूप से विधवाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद भेदभाव और प्रतिगामी प्रथाओं के अधीनकृत किया जाता है, जैसे कि बहिष्कार, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से प्रतिबंधित किया जाना, आदि। हालांकि, विधवाओं और एकल महिलाओं दोनों को अक्सर आर्थिक बहिष्कार के एकसमान आघात को सहन करना पड़ता है। इन प्रथाओं में उनके ससुराल वालों के घर से निष्कासित किया जाना, विरासत के अपने भाग को प्राप्त करने से रोक दिया जाना, संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से दूर रखा जाना और किसी भी प्रकार के भरण-पोषण से वंचित किया जाना सम्मिलित है।

उपरोक्त प्रथाओं के कारण, विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए अपने पति की मृत्यु या परित्याग के बाद जीवनयापन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अधिकांशतः, न केवल उन्हें बेघर छोड़ दिया जाता है, बल्कि उनके पास अपने और अपने बच्चों के भरण-पोषण के साधन भी नहीं रह जाते हैं। कई मामलों में, चूंकि विधवा या एकल महिला पूर्ण रूप से पति और ससुराल पक्ष पर आर्थिक रूप से निर्भर थी, अत:, उनके लिए लाभकारी नियोजन पाना अत्यंत कठिन होता है। उपेक्षा का यह विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र लाखों विधवाओं और एकल महिलाओं को दारिद्रय में धकेलता है, जिससे वे स्वयं और अपने आश्रित बच्चों को एक स्वस्थ जीवन की प्रतिभूति देने में असमर्थ होती हैं।

एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, भारत के लिए इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए अधिक न्यायसंगत, स्वीकार्य और प्रगतिशील समाज की दिशा में कार्य करना अनिवार्य है। निराश्रित, बीमार और परित्यक्त विधवाओं और एकल महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं, आवासीय आवश्यकताओं, नियोजन आवश्यकताओं और शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना सुनिश्चित करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से विधवापन की प्रतिगामी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण ठोस कदम उठाए।

अत:, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
1 *जुलाई*, 2022.

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकार और विधवापन प्रथा के उन्मूलन के लिए बोर्ड के गठन का उपबंध करता है। खंड 4 बोर्ड की संरचना का उपबंध करता है। खंड 6 विधवाओं और एकल महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं का उपबंध करता है। खंड 7 राष्ट्रीय व्यथित विधवा और एकल महिला पुनर्वास और कल्याण निधि की स्थापना का उपबंध करता है। खंड 10 स्थानीय स्तर पर एक निगरानी समिति के गठन का उपबंध करता है। खंड 11 में यह उपबंध है कि समुचित सरकार अधिनियम के उपबंध का व्यापक प्रचार करने के लिए सभी उपाय करेगी। खंड 12 उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराएगी। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर, भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर पंद्रह सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 14 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

भारत में विधवाओं और एकल महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और विधवापन की प्रथा का उन्मूलन करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)